03/03/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 344 रकबा 0.3100 हेक्टेयर में प्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नरेन्द्रसिंह पुत्र गणेशराम अंकित है। जबकि प्रार्थी सं. 1 का सही नाम नरेन्द्र कुमार फेनिन पुत्र गणेश राम है। प्रार्थी सं. 1 के शैक्षणिक दस्तावेजों, पेन कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी सं. 1 का नाम नरेन्द्र कुमार फेनिन पुत्र गणेश राम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र गणेशराम के स्थान पर नरेन्द्र कुमार फेनिन पुत्र गणेश राम दुरूस्त किया जावें। ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 342 रकबा 1.73 हेक्टेयर में प्रार्थीगण सरंक्षक सरपस्त गणेशाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी सं. 1 की उम्र 39 वर्ष व प्रार्थी सं. 2 की उम्र 45 हो चुकी है। प्रार्थीगण बालिग हो चुके है। अतः संरक्षक सरपरस्त गणेशाराम को हटाये जाने के आदेश प्रदान करे तथा प्रार्थी सं. 1 का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र गणेशराम के स्थान पर नरेन्द्र कुमार फेनिन पुत्र गणेश राम दुरूस्त किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:25:05 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थीगण से सुनी गई। तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "मुताबिक पूछताछ एवं दस्तावेज के प्रार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार फेनिन पाया व जन्मदिनांक 11.11.1978 है। नरेन्द्र सिंह व नरेन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः मुताबिक जांच व प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर नाम शुद्धि किया जाना उचित है। इसी प्रकार भंवरसिंह पुत्र गणेशराम की जन्मतिथि 28.05.1974 है। अतः ख.नं. 344 में नरेन्द्रसिंह के स्थाना पर नरेन्द्र कुमार फेनिन व ख.नं. 342 तन रसीदपुरा में नाबालिग नरेन्द्र कुमार, भंवरसिंह पि. गणेशराम सरंक्षक सरपरस्त गणेशराम के स्थान पर नरेन्द्र कुमार, भंवरसिंह पि. गणेशराम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 344 रकबा 0.3100 हेक्टेयर में प्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नरेन्द्रसिंह पुत्र गणेशराम के स्थान पर नरेन्द्र कुमार फेनिन पुत्र गणेशराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 342 रकबा 1.73 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि "नाबालिग नरेन्द्रकुमार पुत्र गणेशराम सरंक्षक सरपरस्त गणेशराम" के स्थान पर "नरेन्द्र कुमार फेनिन पुत्र गणेशराम" तथा "नाबालिग भंवरसिंह पुत्र गणेशराम सरंक्षक सरपरस्त गणेशराम" के स्थान पर "भंवरसिंह पुत्र गणेशराम" दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद ... सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:25:05 IST
Reason: SelfAttested